

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुल सचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू०वि.वि./सम्बद्धता/03-(तीन)/2015/
दिनांक: 20-09-2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्रद्धेय बाबूराम बालिका कालेज,
खानपुर, सैदपुर, गाजीपुर

विषय—महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1103(1)/सत्तर-6-2014-2(97)/2014 दिनांक 01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम-2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है, के क्रम में दिनांक 25 अगस्त, 2015 को सम्पन्न विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्रद्धेय बाबूराम बालिका कालेज खानपुर, सैदपुर, गाजीपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, समाजशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2014-15 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक-01.07.2015 से शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

1. शैक्षिक सत्र 2014-15 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने एवं महाविद्यालय सामूहिक नकल में आरोपित न होने, कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त होने की तिथि में तथा शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों/शर्तों के पूर्ण होने पर सत्र 2015-16 के सम्बद्धता की सशर्त पूर्णता के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थायी) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक-01.07.2015 से सम्बद्धता (स्थायी) आदेश दिये जायेंगे।
2. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक-02 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा निदेशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
3. शासनादेश संख्या-5267/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी. दिनांक-16.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2(166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इम्ति सभ्यी कमियों एवं शर्तों का निराकरण तीन माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशस का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक-20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक-30 अप्रैल 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णतः तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय की भूमि जाँच किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को विश्वविद्यालय द्वारा जाँच हेतु प्रेषित पत्र पर प्राप्त जाँच आख्या के अधीन होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
8. महाविद्यालय के पत्र संख्या-12/2015/450/सत्तर-2015-16(33)/2015, दिनांक-12 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रवक्ताओं आदि से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगे।
9. उक्त सम्बद्धता प्राभूत धनराशि, एन.बी.सी. प्रमाण-पत्र, अग्निशमन प्रमाण-पत्र के तथ्यों के सत्यापन एवं Aishe पंजीकरण के अधीन होगी।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय, के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय उ०प्र०, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. परीक्षा नियंत्रक/टेक्निक सेल विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।

कुलसचिव